कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक 270 / 12-1 दिनांक, रामनगर, 15-7-2022

सेवा में,

वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड
हल्द्वानी, नैनीताल

विषय: **जनपद– नैनीताल में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली दाबका नदी के वन स्वीकृति (F.C.) पुर्नप्रस्ताव FP/UK/MIN/147953/2021 में भारत सरकार द्वारा लगाई गई EDS आपत्ति के संबंध में।**

संदर्भ: **वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की File No-8-61/1999-F.C. (Pt. V) दिनांक 10 मई 2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने विषयगत प्रस्ताव पर 9 बिन्दुओं की आपत्ति लगाई गयी थी, उक्त आपत्तियों के संबंध में याचक विभाग को लिखा गया, याचक विभाग द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रत्युत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। याचक विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार प्रत्युत्तर आख्या निम्न प्रकार है:–

आपत्ति	प्रतिउत्तर
I. As per DSS analysis, out of total area of 115.60 ha (Software estimated), 2 ha falls under MDF, 2 ha under OF and remaining 111 ha as non-wooded category. Therefore, in light of observation made in DSS report, submission made by the State need justification to support their claim of area having vegetation density of 0.4 with no project affected trees. Discrepancy in the area may also be commented upon by the state.	उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित खनन क्षेत्र 112.00 है0 लिया गया है जिसका मानचित्र मय कॉर्डिनेट संलग्न किया गया है। उक्त क्षेत्र पूर्व में भी लिया गया था जिस पर वर्तमान में खनन किया जा रहा है। प्रस्तावित उपखनिज चुगान क्षेत्र के दोनों ओर आरक्षित वन क्षेत्र है जबकि उपखनिज चुगान क्षेत्र वृक्ष विहीन है।
II. Corbett Tiger Reserve is located at a distance of approximately 0.9 km from the boundary of the area proposed for diversion. As per the direction contained in the Supreme Court order dated 04.08.2006, mining within 1 km distance from the boundary of any PAs is prohibited. Therefore, State Government needs to furnish their considered opinion on the proposal vis-à-vis direction contained in Hon'ble Supreme Court order dated 04.08.2006.	कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से उपखनिज चुगान क्षेत्र की हवाई दूरी निकटतम 11.02 किमी0 एवं कॉर्बेट टाईगर रिजर्व से निकटतम दूरी 6.6 किमी0 आंकलित की गई है जिसको वन विभाग उत्तराखण्ड की आई0टी0 सेल देहरादून से प्रमाणित कराया गया है। **(संलग्नक–1)** मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04 अगस्त 2006 में निहित निर्देश के अनुसार पी0ए0 की सीमा से 01 किमी0 से अधिक दूरी है।
III. Detail of compensatory afforestation, in lieu of approval accorded for 233 ha of forest land, undertaken in the past, its survival percentage, year wise detail of expenditure proposed and incurred needs to be submitted by the State along with soft copies of KML/shape files of all sites.	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत कोसी, दाबका नदी प्रस्ताव के स्वीकृत उप खनिज चुगान प्रस्ताव के सापेक्ष कराये गये क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों का विस्तृत विवरण एवं उनकी KML File (मय सी.डी.) संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–02)**

IV. Examination of the Mining Scheme submitted along with the proposal revealed the following :	
a. Proposal has been submitted only for 112.0 ha while the Mining Scheme has been approved for an area of 233 ha. The discrepancy needs to be rectified by the State.	खनन योजना पूर्व में स्वीकृत वन स्वीकृति हेतु बनाई गई है जो मई 2023 तक के लिए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय देहरादून से स्वीकृत है। वर्तमान वन स्वीकृति प्रस्ताव 112.00 है0 हेतु प्रस्तावित है जो कि पूर्व में पंवलगढ़ संरक्षित रिजर्व बनाये जाने के कारण अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून की पत्र सं0–875 / 1 जी0–2756 / दिनांक 09.10.2012 द्वारा 223.00 है0 से 112.00 है0 क्षेत्रफल सूचित किया गया था। **(संलग्नक–03)**
b. Chapter – 12 of Mining Plan mentions that sandy soil will be removed during mining operations and precautionary measure will be undertaken for its storage. However. Details of measures and area earmarked for its storage have not been addressed in the Mining Plan.	Sandy soil का निष्पादन प्रस्ताव के साथ संलग्न खनन योजना के अध्याय–05 के अन्तर्गत Proposed Method Of Mining में उल्लेखित किया गया है किन्तु वर्तमान में आर0बी0एम0 उपखनिज चुगान का कार्य एफ0सी0 में दी गई शर्तो के अनुसार ही श्रमिकों के माध्यम (By Hand tool Manual Method) से किया जाता है।
c. Land use/Component wise breakup of the area proposed for diversion i.e. area under mining, infrastructure, approach road, Storage of top soil, etc. has not been mentioned neither in the proposal nor in the Mining Plan. The same needs to be furnished by the State.	खनन हेतु उपयोगी क्षेत्र 112.00 है0 है। सतही मृदा (Top Soil) व Over Burden के भण्डारण हेतु Waste Dump का क्षेत्रफल 1.066 है0 है। वाहन के आवागमन हेतु Approach Road अथवा आधारभूत संरचना (Infrastructure) के लिए 1.832 है0 वन भूमि का उपयोग किये जाने का प्राविधान है जिसे अनुमोदित खनन योजना की प्लेट सं0–06 व 07 में दर्शाया गया है।
d. Proposal for renewal of approval under FC has been submitted for a period of 10 years while Mining Plan/ Mining Scheme have been approved for a period of 3 years (Pg 142/c).	पूर्व में F.C. (वन स्वीकृति) की निर्धारित तिथि 14 फरवरी 2023 तक ही स्वीकृत है, जिस कारण खनन योजना F.C. (वन स्वीकृति) के अनुसार 03 वर्षो के लिए ही प्राप्त हुई। आगामी 10 वर्षो हेतु पुर्नप्रस्ताव आवेदित किया जा रहा है, जिस हेतु आगामी वर्षो के लिए खनन योजना बनायी जानी प्रस्तावित है।
e. Mining Plan essentially has to be prepared in consonance with the provisions of the relevant mineral concession rules and accordingly diversion proposal should be formulated by the State. Mining Plan, if any, prepared and approved for the entire period of 10 years may be submitted by the state providing the full details of the land use, mining area, its reclamation, etc.	आगामी वर्षो के लिए खनन योजना में बिन्दु का समावेश कर लिया जायेगा।
V. Status of District Survey Report, if any, prepared by the state Government in Nainital District in accordance with the Guidelines on Sustainable Sand Mining – 2019 issued by the Ministry vis-à-vis recommendation made thereof on the mining of RBM proposed in the extant proposal.	नैनीताल जिले की खनन योजना संलग्न की जा रही है। **(संलग्नक–04)**
VI. The State Government may also submit its comments whether the report prepared by the Indian Institute of Soil and Water Conservation is in conformity with the Sustainable Sand Mining Guidelines 2019 or otherwise.	भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के अनुरूप है, उनके द्वारा दिया गया पत्र संलग्न हैं। **(संलग्नक–05)**

VII. Estimation of cost benefit ratio does not account for all parameters specified in the Guidelines dated 1.08.2017 issued by the Ministry, incorporated at Annexure –III of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980. Therefore, cost benefit analysis needs to be re-visited by the State to ensure accounting of all specified parameters using appropriate techno-economic tools.	लागत लाभ अनुपात का अनुमान सम्मिलित किया गया है। लागत लाभ विश्लेषण संलग्न किया जा रहा है। **(संलग्नक–06)**
VIII. As per Supreme Court order dated 28.03.2008, revenue earned from the sale of RBM should be utilized for conservation work. Detail of amount earmarked and incurred on conservation may be provided on annual basis for the last decade.	सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार आर0बी0एम0 की विक्री से अर्जित राजस्व को विभिन्न विभागों को दिया जाता है गत 10 वर्षो का विवरण संलग्न हैं। **(संलग्नक–07)**
IX. Detail of money deposited in SPV made in the previous approval and SMC works done so far may also be provided.	पूर्व स्वीकृत वन स्वीकृति की एस0पी0वी0 की धनराशि का विवरण व SMC कार्यो का विवरण संलग्न है। **(संलग्नक–07)**

उक्त आपत्तियों के संबंध में याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्नों को आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(बी.एस. शाही)

प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर